

संदर्भ सं. राबैं.डॉर/ एलटी नीति/1348/पीपीएस – 178 / 2023-24  
परिपत्र सं. 13/ डॉर -05 / 2024  
30 जनवरी 2024

अध्यक्ष  
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक  
महोदया/ महोदय,

**एलटीआरसीएफ़ के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को  
पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु एकबारगी चुकौती**

कृपया एलटीआरसीएफ़ के तहत पुनर्वित्त सहायता पर दिनांक 24.11.2023 के हमारे परिपत्र सं. 244 का संदर्भ लें। इसके बाद से हमने ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) से एलटीआरसीएफ़ के तहत उनके द्वारा आहरित पुनर्वित्त के संबंध में एकबारगी चुकौती करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त किए हैं। ग्रामीण/ कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में क्षेत्रीय बैंकों की सहायता प्रदान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय बैंकों को अब पांच साल के अंत में एकबारगी चुकौती की अनुमति है। ब्याज की वसूली वर्तमान में प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी

2. मौजूदा तथा संशोधित मूलधन तथा ब्याज की देय तिथियाँ नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

आरएफ़आई	मौजूदा चुकौती		एकबारगी चुकौती	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	छमाही	तिमाही	5 वर्ष के अंत पर एकबारगी	तिमाही

3. एलटीआरसीएफ़ के तहत पुनर्वित्त प्रदान करने से संबंधित हमारे परिपत्र में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कृपया पावती दें।

भवदीया

*eSign*

Signed by: NEERAJA NANDAMUDI  
Organization Unit: CHIEF GENERAL  
MANAGER  
Organization Name: THE NATIONAL  
BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL  
DEVELOPMENT  
Date: 05-Feb-2024 (02:42 PM)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक  
National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org